



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन न: 0141-2228059, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल: rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2019/1198


दिनांक : 16/7/19

कार्यालय आदेश

M/s Daffodills Pharmaceuticals Ltd., Jawahar Nagar, Rohta Road, Meerut, Pin-250001 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Ranitidine HCL Injection IP 50mg/2ml (code no. 276) के क्रयादेश क्रमांक 701 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा 1494400 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1770 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा 1556800 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 3181 दिनांक 31.12.2018 के द्वारा 1109600 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आंशिक आपूर्ति करने पर पत्रांक 639 दिनांक 22.05.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 28.06.2019 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म द्वारा नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/आंशिक मात्रा आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र क्रमांक 561 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्राप्त दिनांक 28.06.2019 को आयोजित मीटिंग की मिनिट्स की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता M/s Daffodills Pharmaceuticals Ltd., Jawahar Nagar, Rohta Road, Meerut, Pin-250001 को औषधि Ranitidine HCL Injection IP 50mg/2ml (code no. 276) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(सुरेश चन्द गुप्ता)

आई.ए.एस.

प्रबन्ध निदेशक

895



क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2019

दिनांक :

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/उत्तरप्रदेश।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. एजीएम (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Daffodils Pharmaceuticals Ltd., Jawahar Nagar, Rohta Road, Meerut, Pin-250001
13. गार्ड फाईल


विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.